

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक, अधिशाली अभियन्ता (हा/इं सेल), लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या : 896/52/HT/6/2011 दिनांक : 27/6/11	सेवा में, मे० ईमार एम०जी०एफ० लैण्ड लि० 28, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
---	--

विषय:

लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के डी०पी०आर० के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक डी०पी०आर० प्राधिकरण बोर्ड की 145वीं बैठक दिनांक 22.06.2011 द्वारा सैद्धान्तिक रूप से निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया है:-

1. डी०पी०आर० को इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2005 के अनुरूप परीक्षण करने की अनुमति शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी तभी भू-विन्यास की स्वीकृति/निर्गत की कार्यवाही की जायेगी।
2. गोमती तट बन्ध के एलाइनमेन्ट के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग के सुझावानुसार टाउनशिप के उत्तरी सीमा में आवश्यक परिवर्तन करना होगा।
3. डी०पी०आर० पर परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा पायी गयी निम्न प्रतिबन्धों का भी अनुपालन करना होगा:-

- (i) बहुमंजिले भवनों तथा महत्वपूर्ण अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु भूकम्प विरोधी विकास एवं निर्माण, शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त परिसर के सृजन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, नगर निगम, जल संस्थान, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति प्राप्त किया जाना होगा। भवन उपविधि के अन्तर्गत भवन मानचित्र की स्वीकृति प्राधिकरण से पृथक प्राप्त करनी होगी।
- (ii) विभिन्न जन सुविधा जैसे-उपडाक घर, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन आदि के लिए भूमि आरक्षित करते हुए निःशुल्क हस्तान्तरण का प्रस्ताव ले-आउट प्लान पर चिह्नित करना होगा।
- (iii) प्राधिकरण द्वारा वांछित वाह्य विकास शुल्क, गोमती तटबन्ध हेतु समानुपातिक विकास व्यय, विकास अनुज्ञा शुल्क, निरीक्षण शुल्क, नगरीय विकास शुल्क, कनेक्टिविटी चार्ज तथा अन्य शुल्क भी जमा करना होगा।
- (iv) टाउनशिप के अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए जारी की जाने वाली विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए टाइप डिजाइन के अनुसार पृथक निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करना होगा। इंटीग्रेटेड नीति के तहत ही समय-समय पर कार्यवाही की जायेगी एवं प्राविधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) टाउनशिप के अन्तर्गत एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. भवनों हेतु आरक्षित कुल 20 प्रतिशत भवनों का आवंटन (i) उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण (ii) जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि (iii) प्रतिनिधि विकासकर्ता कम्पनी (iv) सचिव, विकास

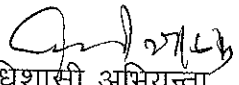
प्राधिकरण की समिति द्वारा किया जायेगा तथा क्षेत्रफल एवं लागत का निर्धारण शासनादेश के अनुसार विकास प्राधिकरण के परामर्श से करना होगा।

(vi) टाउनशिप का विकास सुनिश्चित करने हेतु परफार्मेन्स गारन्टी के रूप में विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक रखी जाने वाली विक्रय योग्य 25 प्रतिशत भूमि ले-आउट स्वीकृति के समय मारगेज करते हुये मारगेज डीड निष्पादित करना होगा।

(vii) योजना की इनवायरमेन्टल सस्टेनिबिलिटी हेतु आवश्यक व्यवस्था जैसे की सोलर पैंसिव आर्कीटेक्टर, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल से ऊर्जा संचयन, बायोगैस प्लान्ट तथा जल संरक्षण इत्यादि का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन करते हुए आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विस्तृत विन्यास मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

भवदीय,


अधिशाली अभियन्ता
हाईटेक/इंटीग्रेटेड सेल

प्रतिलिपि:

1. उपाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ।
2. सचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियन्ता को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
हाईटेक/इंटीग्रेटेड सेल

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 145वीं बैठक दिनांक
22 जून, 2011 का कार्यवृत्त**

उपस्थिति :

- | | |
|---|---|
| 1. श्री प्रशान्त त्रिवेदी | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 2. श्री राजीव अग्रवाल | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 3. श्री शम्भू नाथ,
उपसचिव, उ०प्र० शासन | प्रतिनिधि-सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन
उ०प्र० शासन, लखनऊ। |
| 4. श्री अनिल कुमार सागर | जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 5. श्री शैलेश कुमार सिंह | नगर आयुक्त, नगर निगम,
लखनऊ। |
| 6. श्री एन०आर०वर्मा | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश। |
| 7. श्री नरेन्द्र कुमार
अपर-निदेशक | प्रतिनिधि-निदेशक, कोषागार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 8. श्री देवेन्द्र कुमार जैन
मुख्य अभियन्ता | प्रतिनिधि-आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। |
| 9. श्री आर०एन०राम
सहायक निदेशक पर्यटन | प्रतिनिधि-महानिदेशक, पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 10. श्री ए०के०चतुर्वेदी | संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ। |
| 11. श्री गोविन्द पाण्डेय | मा० पार्षद एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०। |
| 12. श्री राम कृष्ण यादव | मा० पार्षद एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०। |
| 13. श्री सुरेश कुमार रावत | मा० पार्षद एवं सदस्य, ल०वि०प्रा०। |

अन्य उपस्थिति :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 14. श्री संजीव सिन्हा | अपर सचिव, ल०वि०प्रा०। |
| 15. श्री बी०आर० चक्रवर्ती | वित्त नियंत्रक, ल०वि०प्रा०। |
| 16. श्री एस०एन० त्रिपाठी | मुख्य अभियन्ता, ल०वि०प्रा०। |
| 17. श्री इन्द्र विक्रम सिंह | संयुक्त सचिव, ल०वि०प्रा०। |
| 18. श्री आर०के०मिश्र, | संयुक्त सचिव, ल०वि०प्रा०। |
| 19. श्री एस०के०सिंह, | संयुक्त सचिव, ल०वि०प्रा०। |
| 20. श्री जे०एन० रेड्डी | नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०। |
| 21. श्री रवि जैन | नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०। |

(Signature)

कार्यवाही :-

नवागन्तुक उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय का स्वागत एवं अन्य सदस्यों से उपाध्यक्ष के औपचारिक परिचय के उपरान्त कार्यवाही प्रारम्भ हुई तथा विभिन्न एजेन्डा बिन्दुओं के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिये गये :-

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.02.2011 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.02.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.02.2011 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11.02.2011 की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन का अवलोकन किया गया। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा यह अवगत कराया गया कि गत बैठक में विषय संख्या-4 में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वृंदावन एवं आम्रपाली योजनाओं को लखनऊ महायोजना 2021 में नये एवं अविकसित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदर्शित किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया था कि आवास एवं विकास परिषद का जो भी योजनागत क्षेत्र अविकसित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाये उसमें निर्माण एवं विकास 10 प्रतिशत से कम हो। अनुपालन आख्या में यह उल्लेख नहीं है कि आवास एवं विकास परिषद द्वारा उपरोक्त कार्यवाही की गई है अथवा नहीं।

बैठक में यह अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में आवास एवं विकास परिषद को दिनांक 29.02.2011 को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था परन्तु इस संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण उपलब्ध नहीं है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उनके योजनागत क्षेत्र में नये एवं अविकसित क्षेत्र दर्शित करते हुए मानचित्र प्राधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया जाये।

विषय संख्या : 3 विशेश्वरनाथ रोड पर मोहल्ला-कन्धारी बाजार (सहकारिता भवन के पीछे) में प्राधिकरण द्वारा अर्जित 1.73 एकड़ भूमि को महायोजना 2021 में 'सुरक्षा जोन' के प्रस्तावों से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से स्वीकृति प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय : परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 4 नजूल भूमि खसरा सं०-190 व 191 क्षेत्रफल 1-16-15-0 बीघा अर्थात् 50094 वर्गफिट मोहल्ला हजरतगंज, लखनऊ (वर्तमान में कैपिटल सिनेमा) पर मल्टीलेवल पार्किंग निर्मित किये जाने हेतु प्रश्नगत भूमि को महायोजना 2021 में सुरक्षा जोन के प्राविधानों से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से स्वीकृति प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय : परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 5 जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के अर्द्धनिर्मित भवन को पूर्ण किये जाने हेतु इसके अन्तर्गत आने वाले 10633 वर्गमीटर भूमि के भू-उपयोग को 'पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी (पी-1)' से 'सामुदायिक सुविधाएँ (संस्थागत)' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से स्वीकृति प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय : परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 6 वित्तीय वर्ष 2011-12 के मूल बजट के मदों/नये मदों/धनराशियों में यथाआवश्यक स्वीकृति बजट के अन्तर्गत संशोधन का प्रस्ताव।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।



विषय संख्या : 7 ग्राम-जियांमऊ में जनसुविधा परिसर एवं पार्किंग हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 8 अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन, प्रकलन का भुगतान हितबद्ध कास्तकारों को किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 9 प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना (बसन्तकुंज) में अर्जित नजूल भूमि के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन के निर्णयार्थ प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 10 भूमि खसरा सं०-416, 417 ग्राम-मोहिबुल्लापुर की भूमि पर योजित रिट याचिका सं०-4906/10 गोपालदास व अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.05.2010 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय संख्या : 11 कानपुर रोड स्थित बन्धरा पुलिस थाना के सामने प्रस्तावित 45 मीटर रोड के दोनों तरफ लीडा के स्वामित्व वाले 115 एकड़ भू-भाग को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि भूमि का भू-उपयोग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट भू-उपयोग के अनुरूप रखे जाने हेतु लीडा द्वारा अपनी महायोजना में परिवर्तन किया जायेगा एवं इस हेतु प्राधिकरण स्तर से कोई भी भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय नहीं होगा।




विषय संख्या : 12 लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों की सेवा लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा 1 उपसचिव, 1 नायब तहसीलदार, 2 कानूनगो व 1 लेखपाल स्तर के सेवा निवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर दिनांक 01.04.11 से 31.03.12 अथवा प्रतिनियुक्ति/सम्बद्धीकरण पर तैनात होने, जो भी पहले हो, तक पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 13 देवपुर पारा योजना में वर्ष 2001 में निर्मित आश्रयहीन भवनों को ध्वस्त करके उसी स्थान पर ई0डब्ल्यू0एस0/ एल0आई0जी0 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए इसे शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस योजना के विफल होने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने हेतु प्राधिकरण की 138वीं बोर्ड बैठक दिनांक 13.08.09 के विषय संख्या-03 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुपालन में आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 14 गोमती नगर विस्तार के अन्तर्गत ग्रीनवुड योजना के कियान्वयन एवं स्थल में आंशिक परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 15 डालीबाग रोड पर 'धेनुमति' बहुखण्डीय आवास योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।




विषय संख्या : 16 जानकीपुरम योजना के सेक्टर-जे (विस्तार)
प्रस्तावित सरगम अपार्टमेंट्स (लखनऊ की प्रथम थीम
आधारित बहुमंजिली आवास योजना) के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 17 मनीषा मंदिर को गोमती नगर योजना विराम खण्ड-2
में निराश्रित बालिकाओं के कल्याण एवं पालन-पोषण
के साथ-साथ शिक्षण कार्य हेतु पूर्व में
आवंटित/निबन्धित 2791.80 वर्गमीटर से अनुलग्न
पट्टी के रूप में उपलब्ध 236.32 वर्गमी० भूमि के
आवंटन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 18 ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत वाहनों की पार्किंग
हेतु पूर्व निर्धारित स्थल पर निर्मित की गयी 142
क्यास्कों को तलपट मानचित्र में समावेशित करने
तथा मोटर मैकेनिकों के पक्ष में नीलाम द्वारा आवंटित
किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि
पार्किंग स्थलों पर निर्मित किये गये क्यास्कों का आवंटन
सर्वप्रथम विस्थापित मोटर मैकेनिकों के मध्य नीलामी के माध्यम
से न कर लाटरी से किया जाये एवं समस्त विस्थापित मोटर
मैकेनिक को आवंटन के उपरान्त अवशेष क्यास्क हितबद्ध
व्यक्तियों को खुली नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाये।
चूंकि यह क्यास्क पार्किंग उपयोग के अन्तर्गत निर्मित किये गये
हैं, अतः इनको लीज पर ही इस शर्त के साथ आवंटित किया
जाये कि आवंटी को इनके हस्तानांतरण का अधिकार नहीं
होगा तथा इसमें मैकेनिक कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य
अनुमन्य नहीं होगा।

विषय संख्या : 19 प्राधिकरण के व्यवसायिक केन्द्रों में निर्मित
दुकानों/तलों का फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध
में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।




विषय संख्या : 20 व्यवसायिक सम्पत्ति के अन्तर्गत दुकानों एवं भूखण्डों की नीलामी हेतु पूर्व प्रचलित नियमों एवं शर्तों में आंशिक संशोधन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रस्तावित संशोधन केवल अनारक्षित वर्ग हेतु नीलामी पर ही लागू होंगे।

विषय संख्या : 21 गोमती नगर योजना के विवेक खण्ड में गेल (इण्डिया) लि० को आवंटित भूखण्ड संख्या 4/255, 4/256 एवं 4/257 को एकजाई करते हुए उनके उपयोग को 'आवासीय' से 'कार्यालय' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु जन साधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 22 सुनियोजित कालोनियों के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक भूखण्डों पर उच्च स्तर के शैक्षिक उपयोग की अनुमन्यता के सम्बन्ध में (पूर्व बैठक 11.02.11 के विषय सं०-21 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में)।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सुनियोजित कालोनियों में निर्धारित शैक्षिक भूखण्डों पर उच्च स्तर के शैक्षिक उपयोग की अनुमति दिये जाने हेतु सड़क की चौड़ाई, मौके पर स्थित अवस्थापना सुविधाएं, पार्किंग, यातायात पर पड़ने वाले प्रभाव इत्यादि का "केस-टू-केस" आधार पर परीक्षण उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा किया जाये :-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ०प्र० अथवा उनके प्रतिनिधि।
2. जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि।
3. नगर आयुक्त, लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि।
4. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।
5. अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।
6. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।
7. मुख्य अभियन्ता, ल०वि०प्रा०।

cap

8. नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0-संयोजक।

उपर्युक्त समिति की संस्तुति पर सुनियोजित कालोनियों निर्धारित शैक्षिक भूखण्डों पर उच्च स्तर के शैक्षिक उपयोग की अनुमति दिये जाने हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 अधिकृत किया गया। चूंकि उपर्युक्त परिवर्तन तलपट मानचित्र में परिवर्तन के अन्तर्गत आयेगा। अतः यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के परिवर्तन हेतु नियमानुसार जन साधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उपरान्त ही उक्त कार्यवाही की जाये एवं आवेदक से प्रभाव-शुल्क भी जमा कराया जाये।

विषय संख्या : 23

लखनऊ महायोजना 2021 में 'सामुदायिक सुविधाएँ' भू-उपयोग के अन्तर्गत 'सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्थानीय निकाय कार्यालय' उपयोग/किया अनुमन्य किये जाने हेतु जोनिंग रेगुलेशन्स में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 24

आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यालय हेतु गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड-3 में आवंटित भूखण्ड संख्या-सी0पी0-2 के उपयोग को 'व्यवसायिक' से 'कार्यालय' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन हेतु जन साधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 25

होटल क्लार्क अवध के बगल स्थित नजूल भूमि जो ग्रीनबेल्ट भूमि है, को सामुदायिक सुविधाएँ एवं उपयोगिताओं उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत इसे शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।




विषय संख्या : 26 गोमती नदी डा0 भीमराव अम्बेदकर जियामऊ की आबादी एवं लोहिया पथ के मध्य स्थित वाणिज्यिक (उपनगर केन्द्र) के भूखण्ड पर एफ.ए.आर. के निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

अध्यक्ष महोदय की पृच्छा पर स्पष्ट किया गया कि यह प्रस्ताव शासन स्तर पर पी0पी0पी0 मोड पर कराये जाने हेतु इस भूखण्ड पर प्रस्तावित होटल-कम-व्यवसायिक काम्प्लेक्स परियोजना के प्रस्तुतीकरण एवं प्राविधानों पर विचार हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ब्रिड मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20.05. 2011 में दिये गये निर्देशों के क्रम में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि भूमि प्राधिकरण के स्वामित्व में है। सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा सैद्धान्तिक रूप से प्रस्ताव निम्न निर्देशों के साथ अनुमोदित करते हुए शासन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. स्थल पर निर्मित किये जाने वाले भवन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में पार्किंग, अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा विभिन्न विभागों से वांछित यथाआवश्यक अनापत्तियाँ व अन्य आवश्यकताओं से सम्बन्धित समस्त उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. प्रस्ताव में अधिकतम भूतल आच्छादन इस भूमि के वर्तमान में निर्धारित भू-उपयोग "व्यवसायिक, उप नगर केन्द्र" में अनुमन्य 40 प्रतिशत के अनुरूप रखे जाने का उल्लेख किया जाये।

विषय संख्या : 27

शाहदा नगर योजना के रतन खण्ड के तलपट मानचित्र में प्रस्तावित 'कम्यूनिटी सेण्टर' की भूमि पर राजस्व अभिलेखों में तालाब दर्ज होने के कारण इस भूमि पर तालाब को यथावत् रखते हुए इसे पार्क के रूप में विकसित किये जाने हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु जन साधारण सं आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 28

लखनऊ में निर्मित महत्वपूर्ण स्मारकों से सम्बन्धित स्थलों को 'हेरिटेज जोन' घोषित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में विचारार्थ समिति गठित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

cap

विषय संख्या : 29 लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नियोजित कालोनियों में मिश्रित आवासीय उपयोग अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में उपविधि/मार्गदर्शक सिद्धान्तों के प्रारूप पर विचार।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के परीक्षण हेतु इन्हें शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 30 भूखण्ड संख्या-9 हेवलक रोड/सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ योजना भवन परिसर में विद्यमान अर्थ एवं संख्या के कार्यालय भवन से सटाकर प्रस्तावित कार्यालय निर्माण भूतल + 3 तल + मल्टी कुल ऊँचाई 15.75 मीटर के निर्माण हेतु सुरक्षा जोन में अनुमन्य अधिकतम 07 मीटर ऊँचाई के दृष्टिगत ऊँचाई में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए सुरक्षा जोन में छूट प्रदान करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 31 रिवर व्यू अपार्टमेंट के आवंटियों को आवंटन पत्र निर्गत होने के 90 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर छूट अनुमन्य करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि यह भविष्य के लिए दृष्टांत नहीं होगा।

विषय संख्या : 32 मोटर साईकिल/स्कूटर/कार हेतु प्रयोग होने वाले पेट्रोल के अनुसार वाहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए इसे शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

ap

विषय संख्या : 26 गोमती नदी डा0 भीमराव अम्बेदकर जियामऊ की आबादी एवं लोहिया पथ के मध्य स्थित वाणिज्यिक (उपनगर केन्द्र) के भूखण्ड पर एफ.ए.आर. के निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

अध्यक्ष महोदय की पृच्छा पर स्पष्ट किया गया कि यह प्रस्ताव शासन स्तर पर पी0पी0पी0 मोड पर कराये जाने हेतु इस भूखण्ड पर प्रस्तावित होटल-कम-व्यवसायिक काम्प्लेक्स परियोजना के प्रस्तुतीकरण एवं प्राविधानों पर विचार हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ब्रिड मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20.05. 2011 में दिये गये निर्देशों के क्रम में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि भूमि प्राधिकरण के स्वामित्व में है। सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा सैद्धान्तिक रूप से प्रस्ताव निम्न निर्देशों के साथ अनुमोदित करते हुए शासन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. स्थल पर निर्मित किये जाने वाले भवन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में पार्किंग, अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा विभिन्न विभागों से वांछित यथाआवश्यक अनापत्तियों व अन्य आवश्यकताओं से सम्बन्धित समस्त उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2. प्रस्ताव में अधिकतम भूतल आच्छादन इस भूमि के वर्तमान में निर्धारित भू-उपयोग "व्यवसायिक, उप नगर केन्द्र" में अनुमन्य 40 प्रतिशत के अनुरूप रखे जाने का उल्लेख किया जाये।

विषय संख्या : 27

शाहदा नगर योजना के रतन खण्ड के तलपट मानचित्र में प्रस्तावित 'कम्यूनिटी सेण्टर' की भूमि पर राजस्व अभिलेखों में तालाब दर्ज होने के कारण इस भूमि पर तालाब को यथावत् रखते हुए इसे पार्क के रूप में विकसित किये जाने हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु जन साधारण सं आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 28

लखनऊ में निर्मित महत्वपूर्ण स्मारकों से सम्बन्धित स्थलों को 'हेरिटेज जोन' घोषित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में विचारार्थ समिति गठित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।



विषय संख्या : 29 लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नियोजित कालोनियों में मिश्रित आवासीय उपयोग अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में उपविधि/मार्गदर्शक सिद्धान्तों के प्रारूप पर विचार।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के परीक्षण हेतु इन्हें शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 30 भूखण्ड संख्या-9 हेवलक रोड/सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ योजना भवन परिसर में विद्यमान अर्थ एवं संख्या के कार्यालय भवन से सटाकर प्रस्तावित कार्यालय निर्माण भूतल + 3 तल + मल्टी कुल ऊँचाई 15.75 मीटर के निर्माण हेतु सुरक्षा जोन में अनुमन्य अधिकतम 07 मीटर ऊँचाई के दृष्टिगत ऊँचाई में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए सुरक्षा जोन में छूट प्रदान करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 31 रिवर व्यू अपार्टमेंट के आवंटियों को आवंटन पत्र निर्गत होने के 90 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर छूट अनुमन्य करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि यह भविष्य के लिए दृष्टान्त नहीं होगा।

विषय संख्या : 32 मोटर साईकिल/स्कूटर/कार हेतु प्रयोग होने वाले पेट्रोल के अनुसार वाहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए इसे शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

2 ap

विषय संख्या : 33 प्राधिकरण की प्रबन्ध नगर आवासीय योजना भाग-1 में अर्जित भूमि के प्रतिकर भुगतान के संबंध में आ रही समस्या के संबंध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए इसे शासन को निर्णयार्थ सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 34 उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण की नई नीति दिनांक 02.06.2011 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 35 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में विभिन्न भू-उपयोगों के अन्तर्गत होटल निर्माण हेतु अनुमन्य एफ.ए.आर. को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में समान प्रस्ताव शासन स्तर पर विचारणीय है एवं शीघ्र ही शासन स्तर से आदेश जारी कर दिये जायेंगे। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 36 कय योग्य एफ0ए0आर0 के अन्तर्गत प्रस्तावित भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु कय योग्य एफ0ए0आर0 की अनुमन्यता के संबंध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 37 आजाद नगर योजना के साइट एण्ड सर्विसेज तलपट मानचित्र के विनियमित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तनों पर नियमानुसार जन साधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के निर्देश दिये गये।



विषय संख्या : 38

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत लाइसेन्स हेतु मे० अमरावती रेजीडेन्सी प्रा० लि० द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या: 5873/आठ-1-05/34 विविध/03टी०सी०-1 दिनांक 12.01.06 द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति दिनांक 09.12.2010 पर विचार।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए इसे शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 39

शासन की निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली एवं विकास नीति के अन्तर्गत मे० ईमार एम०जी०एफ० लैण्ड लि० द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० स्वीकृत करने के संबंध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अन्तर्गत प्रस्तुत डी०पी०आर० का सैद्धान्तिक अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि शासन से इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2005 के अनुरूप परीक्षण की अनुमति विकासकर्ता द्वारा प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर ही भू-विन्यास की स्वीकृति/निर्गत की कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : 40

लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप के विन्यास मानचित्र के अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 18.06.11 में मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप के मदर सिटी भाग (1765 एकड़) के विन्यास मानचित्र में प्रस्तावित 12 संशोधन तथा हाईटेक टाउनशिप के विस्तारित क्षेत्र के चतुर्थ चरण का विस्तृत विन्यास मानचित्र तकनीकी समिति द्वारा उल्लिखित सुझावों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित किये गये।

विषय संख्या : 41

सृजन विहार सहकारी आवासीय समिति (निकट सहारा शहर) के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 42 भूमि खसरा सं०-173 स्थित ग्राम मेलेसेमऊ क्षेत्रफल-0.338 हे० भूमि का समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण करने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 43 नजूल भूखण्ड सं०-11 म्यूनिसिपिल सं०-278/246, ऐशबाग औद्योगिक भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु इसे शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 44 भूखण्ड संख्या-17 से 21 तथा 43 से 47 मोहल्ला कर्बला, आगामीर, रामतीरथ मार्ग, नरही, हजरतगंज, लखनऊ की 37700 वर्गफीट भूमि के महायोजना-2021 में त्रुटिवश अंकित भू-उपयोग 'पार्क एवं खुला स्थल/हरित पट्टी' का महायोजना-2001 के प्रस्तावों के अनुरूप आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु इसे शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। चूंकि महायोजना में त्रुटि के कारण भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है, अतः आवेदक पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की देयता नहीं होनी चाहिए।

विषय संख्या : 45 लखनऊ महायोजना-2021 में कपूरथाला से आई०टी० कालेज चौराहे तक (रविदास मंदिर के सामने वाली पट्टी पर) प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट के सम्पूर्ण भाग में स्थित प्राधिकरण/ट्रस्ट की निराला नगर योजना के 12 भूखण्डों पर व्यावसायिक उपयोग की अनुमन्यता के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केस-टू-केस आधार पर प्राधिकरण के तलपट मानचित्र में आवासीय उपयोग के भूखण्ड पर बाजार स्ट्रीट के प्राविधानों

को निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के साथ अनुम किया जाये तथा इस सम्बन्ध में समस्त प्रक्रिया उ०प्र० नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा 13 के अनुरूप अपनायी जाये।

विषय संख्या : 46

कानपुर रोड योजना के सेक्टर-सी में दैनिक जागरण को आवंटित भूमि के भू-उपयोग के परिवर्तन के संबंध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन पर जन साधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 47

बेनेट कालमेन एण्ड कम्पनी लि० (टाइम्स आफ इण्डिया) के प्रस्तावित भवन मानचित्र की स्वीकृति के संबंध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 13 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही हेतु इसे शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 48

श्रीमती कल्याणी शर्मा को विकांत खण्ड, गोमती नगर में पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित भूखण्ड संख्या सी०पी०-7 के भू-उपयोग को "पेट्रोल पम्प" से "व्यवसायिक" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

चूंकि प्राधिकरण की गत बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन पर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव निर्धारित 30 दिवस की अवधि में प्राप्त नहीं हुआ है, अतः सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित दो विकल्पों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. चूंकि स्थल के सम्मुख निर्मित फलाई ओवर के कारण पेट्रोल पम्प की वित्तीय उपदेयता नहीं बन पा रही है, अतः श्रीमती कल्याणी शर्मा को कहीं अन्यत्र पेट्रोल पम्प का भूखण्ड शासन के निर्देशानुसार रियायती दर पर उपलब्ध करा दिया जाये तथा प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड सं०-सी०पी०-7 विकान्त खण्ड को व्यवसायिक उपयोग हेतु नीलामी के माध्यम से किसी अन्य को आवंटित कर दिया जाये,

अथवा



2. यदि प्रश्नगत भूखण्ड को ही व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तित कराना है, तो चूंकि श्रीमती शर्मा को प्रश्नगत भूखण्ड पेट्रोल पम्प हेतु रियायती दरों पर आवंटित किया गया है, अतः अन्य व्यवसायिक उपयोग भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराते हुए अनुमन्य किया जाये।

विषय संख्या : 49

सेक्टर 'के-एस' अलीगंज के समीप बास बल्ली व्यवसाय हेतु आवंटित भूमि के भू-उपयोग निर्धारण एवं इस भूमि पर 'प्रभाव शुल्क' के साथ अन्य उच्च श्रेणी के व्यवसायिक उपयोग अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा स्थल के भू-उपयोग को व्यवसायिक निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव को निम्नानुसार सशर्त अनुमोदित किया गया कि चूंकि बास बल्ली व्यवसाय हेतु तत्समय प्रचालित व्यवसायिक दरों से रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटित किये गये हैं, अतः आवंटियों से वर्तमान व्यवसायिक भूमि मूल्य से पूर्व में जमा रियायती दर को घटाते हुए शेष धनराशि जमा करने के उपरान्त ही अन्य उच्च श्रेणी के व्यवसायिक उपयोग अनुमन्य किए जायें।

विषय संख्या : 50

मे० रितनन्द बलदेव, एजुकेशनल फाउण्डेशन (एमिटी यूनिवर्सिटी) के लखनऊ कैम्पस हेतु खसरा सं०-445, 447, 439, 449, 469, 470, 471, 472, 473, 441, 442, 450, 468 व 474 ग्राम-मल्लौर, जिला लखनऊ की 30.18 एकड़ भूमि के भू-उपयोग को "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधाएँ (शैक्षिक)" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम आवेदक द्वारा प्राधिकरण में जमा वाह्य विकास शुल्क से स्थल पर 30 मीटर रोड का निर्माण किया जाये। इसके पश्चात प्रस्ताव पुनः प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 51

भूमि खसरा सं०-85 पी ग्राम विजयीपुर (गोमती नगर योजना भाग-2) पर निर्मित सचिन सुरखी उद्योग के निर्माणों एवं भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण करने के निर्देश दिये गये।

८२६७

विषय संख्या : 52 ग्राम मुत्तकीपुर व अल्लू नगर डिगुरिया, जिला लखनऊ की भूमि को "नगर केन्द्र" (व्यावसायिक) भू-उपयोग से "आवासीय" भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थागित किया गया।

विषय संख्या : 53 "टारगेट ट्रेडर्स प्रा0लि0" के प्रत्यावेदन के निस्तारण के सम्बन्ध में।

निर्णय : समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थागित किया गया।

विषय संख्या : 54 आई.आई.एम. के निकट लखनऊ महायोजना-2021 में प्रस्तावित 45 मीटर चौड़े मार्ग के संरेखण को संशोधित कर एच0टी0 लाईन के साथ एवं 30 मीटर किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थागित किया गया।

अनु0वि0सं0 : 1 मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) हेतु भवनों के निर्माण के वित्त पोषण हेतु हुडको से ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनु0वि0सं0 : 2 सीतापुर रोड स्थित विभागीय हाट मिक्स प्लाण्ट पर उपलब्ध भारी वाहनों/मशीनरी को निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए नीलामी की अनुमति के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनु0वि0सं0 : 3 गोमती नगर योजना फेस-2 विभूति खण्ड के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित विभिन्न प्रकार के भवनों के आवंटन एवं नियम शर्तों के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।



अनु०वि०सं० : 4

विपिन खण्ड गोमती नगर में प्राधिकरण के कार्यालय प्रागण में उपलब्ध कार्यालय भवन के अतिरिक्त कार्यालय स्पेस का निर्माण कार्य।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनु०वि०सं० : 5

ग्राम बरगवां, परगना बिजनौर, लखनऊ स्थित खसरा संख्या 585 में निर्मित भवन के संबंध में।

निर्णय :

प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण करने के निर्देश दिये गये।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(संजीव सिन्हा)
सचिव

(राजीव अग्रवाल)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(प्रशान्त त्रिवेदी)

आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।